हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मे रेस्पो0 सं. 1 भूपसिंह का देहान्त दिनांक 23.08.15 को हो चुका है ररेस्पो0 सं. 1 के देहान्त के पश्चात उनके जायज व कानूनी वारिसों को अनवानी अपील मे पक्षकार बनाया जाना न्यायहित मे है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार कर रेस्पो0 सं. 1 भूपसिंह के वारिसान को बतौर रेस्पो0 पक्षकार बनाया जाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पो. सं. 3 ता 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने दिनांक 25.05.18 को रेस्पो0 सं. 1 के दिनांक 23.08.2015 को फौत होने के पश्चात उसके वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अपील पूर्व मे ही अबेट हो चुकी है ऐसी स्थिति मे मात्र अबेटमेंट का औपचारिक आदेश ही पारित किया जाना है। न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 के अधिवक्ता ने पूर्व मे रेस्पो0 सं. 1 के फौत होने की सूचना प्रस्तुत कर दी थी सूचना दिये जाने के बाद अपीलांट ने भीतर मियाद सकारण कोई आवेदन पत्र रेस्पो0 सं. 1 के वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत नही किया है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 एक ही गांव के है इसलिये रेस्पो0 सं. 1 की मृत्यु दिनांक 23.08.2015 के दिन से ही अपीलांट को रेस्पो0 सं. 1 के फौत होने के तथ्य का पता था अपीलांट जागरूकता पूर्वक आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 4 भीतर मियाद प्रस्तुत नही किया है। अतः अपील अपीलांट अबेट होने के कारण दाखिल दफ्तर की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 3 ता 5 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.12.17 को आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पो0 सं. 1 भूपसिंह की मृत्यु दिनांक 23.08.15 को होने का कथन करते हुए अपील अबेट होने के कारण दाखिल दफ्तर किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 25.05.18 को जवाब आवेदन पत्र रेस्पो0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत कर रेस्पो0 सं. 1 भूपसिंह की मृत्यु होने के पश्चात उसके जायज व कानूनी वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। चूंकि हस्तगत अपील मे रेस्पो0 सं. 1 भूपसिंह की मृत्यु दिनांक 23.08.2015 को हो चुकी थी परन्तु अपीलांट द्वारा मृत्यु की दिनांक से तथा रेस्पो0 सं. 3 ता 5 के आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक 13.12.17 तक एवं इसके पश्चात दिनांक 13.12.17 को रेस्पो0 सं. 1 की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद भी लम्बी समयावधि के दौरान रेस्पो0 सं. 1 भूपसिंह के जायज वारिसान रिकार्ड पर लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया तथा दिनांक 25.05.18 को देरी से/मियाद बाहर आवेदन प्रस्तुत करने का औचित्यपूर्ण कारण भी अपीलांटस द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा अपील अबेट होने के कारण दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10/8/18